भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2074

बुधवार, 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना

2074. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न क्षेत्रों के लिए कार्यान्वित की जा रही उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का क्षेत्र वार कार्य-निष्पादन और परिणाम क्या रहे हैं;

(ख) जून, 2023 तक पीएलआई के लिए आवंटित 1.97 लाख करोड़ रुपये में से खर्च की गई धनराशि का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पीएलआई योजना से लाभान्वित होने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार खिलौनों, चमड़ा और ई-बाइक को भी पीएलआई के दायरे में लाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख): भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए, भारत की विनिर्माण क्षमताओं तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए (26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) के परिव्यय से 14 प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम की घोषणा की गई है।

इन 14 क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मोबाइल विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, (ii) महत्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्री/ड्रग इंटरमीडियरी और सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटक, (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण (iv) ओटोमोबाइल और ऑटो के पुर्जे, (v) फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, (vi) विशिष्ट इस्पात, (vii) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, (viii) इलेक्ट्रॉनिक/ प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ix) व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), (x) खाद्य उत्पाद, (xi) वस्त्र उत्पाद: एमएमएफ श्रेणी और तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स, (xiii) एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी और (xiv) ड्रोन और ड्रोन के पुर्जे।

पीएलआई स्कीमों का उद्देश्य, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना; विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता और किफायत सुनिश्चित करना तथा भारतीय कंपनियों और विनिर्माताओं को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना है।

इन स्कीमों में अगले लगभग 5 वर्षों और उसके बाद भी उत्पादन, रोजगार और आर्थिक विकास को अत्यधिक बढ़ावा देने की क्षमता है।

विधिवत अनुमोदन के पश्चात संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा सभी 14 क्षेत्रों के लिए पीएलआई स्कीमों को अधिसूचित किया गया है। ये स्कीमें कार्यान्वयन करने वाले मंत्रालयों/विभागों द्वारा लागू किए जाने के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ग) : पीएलआई स्कीम का देश के एमएसएमई इकोसिस्टम पर व्यापक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इस बात की पूरी संभावना है कि हर क्षेत्र में स्थापित होने वाली एंकर इकाइयां, पूरी मूल्य श्रृंखला में एक नया आपूर्तिकर्ता/विक्रेता आधार विकसित करेगी। इनमें से अधिकांश सहायक इकाइयां एमएसएमई क्षेत्र में होंगी। विभिन्न पीएलआई स्कीमों के तहत चुने गए 733 आवेदनों में से, 176 एमएसएमई, थोक औषध, चिकित्सा उपकरण, फार्मा, दूरसंचार, व्हाइट गुड्स, खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और ड्रोन जैसे क्षेत्रों के पीएलआई लाभार्थियों में शामिल हैं।

(घ) और (ड.) : पीएलआई स्कीमों के तहत चिन्हित किए गए सभी अनुमोदित क्षेत्र ऐसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने के व्यापक मानदंडों का पालन करते हैं, जिनमें भारत व्यापक विकास कर सकता है और रोजगार तथा निर्यात के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के समग्र लाभों को कई गुना बढ़ा सकता है। इन क्षेत्रों को, नीति आयोग द्वारा पुनरीक्षण और संबंधित मंत्रालयों/विभागों से विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अनुमोदित किया गया था। अद्यतन स्थिति के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएलआई स्कीमों के तहत किसी और नए क्षेत्र को जोड़ने के लिए किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है।

******